

दिनांक : 20.05.2013

परिशिष्ट

व्यापार नोटिस संख्या. एपीडा /पी.पी.पी/ क्यू/2011 26.07.2011 में परिशिष्ट-III दिनांक 09.01.2013 के अतिरिक्त : एफ्लाटाटॉक्सीन के नियंत्रण द्वारा मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु अधिनियम में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

1. मूंगफली और मूंगफली उत्पाद प्रसंस्करण इकाईयों (एकीकृत मूंगफली प्रसंस्करण इकाईयों, मूंगफली शेलिंग इकाईयों, मूंगफली ग्रेडिंग इकाईयों, मूंगफली शेलिंग-सह-ग्रेडिंग इकाईयों, मूंगफली गोदामों / भण्डारण सहित) की मान्यता हेतु आई.ओ.पी.ई.पी.सी को प्रति वर्ष 25,000 रुपए प्रसंस्करण शुल्क के रूप में देय का संशोधन स्थिर है और आई.ओ.पी.ई.पी.सी को इकाई द्वारा 25,000 रुपए का यह शुल्क वर्ष में दो बार (अर्धवार्षिक) देय होगा।

2. तत्काल प्रभाव के साथ निर्यात का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु देय शुल्क 40 रुपए प्रति मैट्रिक टन से 25 रुपए प्रति मैट्रिक टन होगा।

हस्ताक्षरित
महासचिव, एपीडा